समक्ष जे.एम. टंडन, न्यायाधीश।

नारायण दास दौलत राम - *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य - *उत्तरदाता।*

सिविल रिट याचिका सं. 1978 का 2886 ।

7 जून, 1978।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (1955 का X) - धारा 3 (2) (डी) और (ए) *और* 5 - हरियाणा दूध और दुग्ध उत्पाद *नियंत्रण आदेश* 1978 - *खंड* 1 *और* 3 - भारत का संविधान *1950* - अनुच्छेद *14, 19* और *301* - राज्य से दूध के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला *नियंत्रण आदेश - क्या धारा के अर्थ के भीतर "खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक लेनदेन के वर्ग" द्वारा कवर किया गया है।* 3(2)(छ) *- निजी निर्यातकों पर लगाए गए प्रतिबंध से राज्य नियंत्रित संगठनों को छूट - चाहे अनुच्छेद* 14 का उल्लंघन हो - निर्यात प्रतिबंध आदेश - क्या अनुच्छेद *19 (6) के* तहत एक उचित प्रतिबंध - *क्या अनुच्छेद 301* का उल्लंघन है - *दूध - क्या पास्चुरीकृत दूध शामिल है* ।

हरियाणा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1978 की प्रस्तावना से पता चलता है कि यह राज्य में दूध के रखरखाव और आपूर्ति और वितरण में वृद्धि के लिए जारी किया गया है, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है। प्रस्तावना में निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, निजी निर्यातकों को सीमित अवधि के लिए हरियाणा राज्य से दूध का निर्यात करने से रोक दिया गया है। नियंत्रण आदेश के ऑपरेटिव भाग का अपने उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है। दूध के निर्यातकों के लेन-देन की प्रकृति वाणिज्यिक प्रकृति की होती है। दूध निश्चित रूप से एक खाद्य पदार्थ है। इसलिए, राज्य से अन्य राज्यों को दूध का निर्यात आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा 2 के उप-खंड (जी) के संदर्भ में खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक लेनदेन का वर्ग" शब्द के अंतर्गत आता है। (पैरा 7)।

यह अभिनिर्धारित है कि राज्य नियंत्रित संगठनों को सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाता है और वे लोगों को रियायती दरों पर दूध की आपूर्ति करते हैं। इसके विपरीत, राज्य से दूध का निर्यात करने वाले निजी निर्यातकों का एकमात्र दायित्व आर्थिक है। निजी निर्यातकों और राज्य नियंत्रित संगठनों के बीच अंतर की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, उन्हें एक ही श्रेणी या श्रेणी में नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले नियंत्रण आदेश का प्रश्न ही नहीं उठता। (पैरा 12)।

यह माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 302 के तहत संसद सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 3nl के तहत गारंटीकृत यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 30 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है + क्या है? f^0 एसेनबैट कमोडिटीज एक्ट की धारा 3 के तहत तैयार किया गया नियंत्रण आदेश संविधान के अनुच्छेद 302 के तहत विचार किए गए कानून की एक वैध भतीजी है और अनुच्छेद 14 और 19 (एल) (जी) के परीक्षणों को पारित किया है और इसलिए इसे अनुच्छेद 301 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। (पैरा 14)।

माना जाता है कि पास्चुरीकृत दूध नियंत्रण आदेश में निहित 'दूध' की परिभाषा के साथ कवर किया गया है। पाश्चुरीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उपयोग बैक्टीरिया को खत्म करने और इसके गठन को रोकने के लिए दूध सहित डेयरी उद्योग की सभी शाखाओं में किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को एक तापमान पर गर्म करना होता है जो इसकी संरचना या गुणों को गंभीरता से प्रभावित किए बिना मौजूद लगभग सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। दूध को तुरंत पर्याप्त तापमान पर ठंडा किया जाता है ताकि उपयोग किए गए तापमान के प्रतिरोधी सूक्ष्म जीवों के विकास की जांच की जा सके। इस तरह की प्रक्रिया के अधीन होने के बाद एसी सीपीओके दूध बी "दूध" में बंद नहीं होगा। (पैरा 15)).

याचिका में भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 आर को चुनौती *दी गई है, जिसमें* अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालय को परमादेश की प्रकृति या *किसी अन्य रिट, निर्देश या आदेश* के खिलाफ *एक रिट जारी करने की आवश्यकता है,* जिसे *मामले*

की परिस्थितियों के तहत लागू किया जा सकता है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि याचिका के लंबित रहने के दौरान, आक्षेपित आदेश जारी किया जा सकता है

कृपया याचिकाकर्ता को पहले की तरह अपना व्यवसाय और व्यापार करने की अनुमति देने पर रोक लगाई जाए। यह भी प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता को अनुलग्नक पी 1 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जाए और *याचिकाकर्ता को याचिका की लागत भी दी जाए।*

याचिकाकर्ता की ओर से एम. एम. पुंछी, एडवोकेट और उनके साथ कुतुबुद्दीन एडवोकेट ।

उत्तरदाताओं के लिए एस. ***सी. मोहंता, ए.जी., हरियाणा और एच.एस. गिल, ए.डी.ए.***

निर्णय

जे. एम. टंडन, न्यायाधीश.

1. यह आदेश 1978 के चार सिविल रिट याचिकाओं संख्या 5, 2386, 2396 और 2514 का निपटारा करेगा, जिसमें एक समान बिंदु शामिल है।

2. याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य से संबंधित सभी याचिकाओं दायर की हैं। उन्होंने 24 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 57/सीए 10/55/एस.3/78 की वैधता को चुनौती दी है, जिसे हरियाणा सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 3 के तहत जारी अधिसूचना के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें क्रीम आदि के निर्माण के लिए दूध के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 की अवधि के लिए हरियाणा राज्य से इसका निर्यात, जैसा कि इसके खंड 3 में बताया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, अधिसूचना राज्य सरकार के अधिकार से *बाहर* है और आगे रद्द की जा सकती है क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने के लिए बुरा होने का भी दावा किया गया है।

(3) हरियाणा राज्य ने अपने लिखित वक्तव्य में इस बात से इंकार किया कि यह अधिसूचना उनके अधिकार क्षेत्र से *बाहर* है क्योंकि केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस प्रयोजन राथ उन्हें प्रत्यायोजन के लिए प्रत्यायोजन दिया था। इस बात से भी इनकार किया गया कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है या अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करती है।

(4)यह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इसकी धारा 3 में लिखा है -

"3. *आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियां।*

(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए या भारत की रक्षा के लिए किसी आवश्यक वस्तु या सैन्य अभियान के कुशल संचालन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा, इसके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उसमें व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या निषिद्ध करने का प्रावधान है।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, उसके अधीन किया गया आदेश उपबंध कर सकेगा-

m * *

*** *

(घ) किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अधिग्रहण, उपयोग या उपभोग को लाइसेंस, परमिट या अन्यथा द्वारा विनियमित करना;

** * *

** * *

(छ) खाद्य पदार्थों या सूती वस्त्रों से संबंधित वाणिज्यिक या वित्तीय लेन-देन के किसी भी वर्ग को विनियमित या प्रतिषिद्ध करना, जो आदेश देने वाले प्राधिकारी की राय में, या यदि अनियमित होने की संभावना है। सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक;

- -

* * * *»

अधिनियम की धारा 5 शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित है और इसमें लिखा है -

"5. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि धारा 3 के अधीन आदेश देने या अधिसूचनाएं जारी करने की शक्ति, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोग यी होगी- (क) केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, नहीं तो

(ऐसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए)।

यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार के अलावा, जो अधिनियम की धारा 3 के तहत आदेश जारी करने में सक्षम है, वह उस प्रयोजन के लिए अपनी शक्तियों को राज्य सरकार को प्रत्यायोजित कर सकती है। हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 3 के तहत 24 मई, 1978 की अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें केंद्र सरकार से प्रत्यायोजित शक्तियों

का प्रयोग किया गया है। चूंकि मुख्य हमला 24 मई, 1978 की अधिसूचना के खिलाफ है, इसलिए इसके प्रासंगिक भागों के नीचे पुन: पेश करना फायदेमंद होगा: –

"संख्या जीएसआर 57/सीए 10/55/एस 3/78; जबकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि हरियाणा राज्य में तरल रूप में दूध की आपूर्ति और वितरण के रखरखाव और वृद्धि के लिए ऐसा करना आवश्यक है, जो समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक वस्तु है।

इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का संसद अधिनियम 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे भारत सरकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय के साथ पढ़ा जाता है, आदेश सं 2004-10 में जारी किया गया है। जी.एस.आर. 1111, दिनांक 24 जुलाई, 1967 और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियां, हरियाणा के राज्यपाल, केंद्र सरकार की पूर्व सहमति से, इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश देते हैं, अर्थात्:-

1. " *संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ:* –

1. इस आदेश को हरियाणा दुग्ध और दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1978 कहा जा सकता है।

2. यह पूरे हरियाणा राज्य में फैला हुआ है।

3. यह तुरंत लागू हो जाएगा और 14 जुलाई, 1978 की समाप्ति पर लागू नहीं होगा, सिवाय इसके कि ऑपरेशन की ऐसी समाप्ति से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़ दिए गए कार्यों के संबंध में;

2 * **

1. । *दूध और दुग्ध उत्पादों के निर्माण, बिक्री, सेवा, आपूर्ति और निर्यात पर प्रतिबंध।*कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा-

   1. क्रीम, कैसिइन, स्किम्ड दूध, खोआ, रूबरी या किसी भी प्रकार की मिठाई के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के दूध का उपयोग करें, जिसकी तैयारी में घी को छोड़कर दूध या इसके किसी भी उत्पाद एक घटक है; नहीं तो

   2. किसी भी क्रीम, कैसिइन, स्किम्ड दूध, खोआ, रूब्री या किसी भी प्रकार की मिठाई को बेचना, परोसना, आपूर्ति करना या निर्यात करना, बेचना, परोसना, आपूर्ति करना या निर्यात करना, जिसकी तैयारी में दूध या घी को छोड़कर इसके किसी भी उत्पाद को बेचना एक घटक है;

   3. हरियाणा राज्य से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को दूध का निर्यात करना, और

   4. हरियाणा राज्य से किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पनीर निर्यात करें;

   बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी दूध के उपयोग पर लागू नहीं होगा-

      1. आइसक्रीम, कुल्फी, कुल्फा, या पनीर के निर्माण, बिक्री, सेवा या आपूर्ति के लिए जिसकी तैयारी में कोई खोआ, रूबरी या क्रीम का उपयोग नहीं किया जाता है।

      2. ऐसे दूध और दूध उत्पादों के निर्माण, बिक्री, सेवा या आपूर्ति के लिए जो राज्य सरकार, रक्षा बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, एक आदेश परमिट द्वारा कर सकती है;

      3. ऐसे दूध कारखानों द्वारा जो तरल रूप में उपभोग के लिए दूध के प्रसंस्करण में लगे हुए हैं या औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त कारखानों द्वारा संघनित दूध, दूध पाउडर, बेबी फूड या ऐसे किसी अन्य के निर्माण के लिए

      *उत्पादों;

      4. प्रशिक्षण और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी दूध उत्पादों के

निर्माण और बिक्री के लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कर्णक द्वारा;

बशर्ते कि इस खंड में कुछ भी दूध के निर्यात पर लागू नहीं होगा-

(iii) दिल्ली दुग्ध योजना, मदर डेयरी दिल्ली द्वारा अपने सुपरिचित टैंकरों और अधिकारियों के माध्यम से किसी भी मात्रा में;

1. दिल्ली में किसी एक विक्रेता द्वारा एक क्विंटल तक की मात्रा में;

2. दुग्ध आयुक्त, हरियाणा द्वारा जारी परमिट पर हिमाचल प्रदेश को।

*** ** * * * *»'

5.अधिसूचना स्पष्ट रूप से 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 की अवधि के लिए हरियाणा राज्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा दूध के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है।

1. विचारणीय पहला मुद्दा यह है कि क्या केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार को दिनांक 24 मई, 1978 की अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की है या दूसरे शब्दों में अधिसूचना विधिवत प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का मुख्य जोर इस बिंदु पर है। उनका तर्क यह है कि केन्द्र सरकार ने दिनांक 24 मई, 1978 की अधिसूचना में उल्लिखित दिनांक 24 जुलाई, 1967 की अधिसूचना सं. जीएसआर 1111 के माध्यम से प्राधिकरण के प्रत्यायोजन को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के उप-खंड (डी) तक सीमित कर दिया है, जिसमें केवल लाइसेंस आदि द्वारा किसी आवश्यक वस्तु को विनियमित करने का प्रावधान है, न कि उस पर प्रतिषेध। हरियाणा राज्य से याचिकाकर्ताओं द्वारा दूध के निर्यात पर प्रतिबंध, व्यापक रूप से लागू अधिसूचना निषेध की शक्ति के प्रयोग के समान है जो न तो राज्य सरकार को सौंपी गई थी और न ही इसमें निहित थी। इसलिए यह अधिसूचना *राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से* बाहर है।

2. अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 1111, दिनांक 24 जुलाई, 1967, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के उपखंड (जी) के संबंध में राज्य सरकार को अधिकार नहीं सौंपता है। खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक या वित्तीय लेन-देन के किसी भी वर्ग को विनियमित और प्रतिबंधित करने की शक्ति उप-खंड (जी) में निहित है, न कि उप-खंड (डी) में। उत्तरार्द्ध लाइसेंस आदि द्वारा विनियमित करने तक सीमित है।

कोई आवश्यक वस्तु। याचिकाकर्ताओं के वकील की यह दलील कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हरियाणा राज्य से दूध के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना निषेध के कुचक्र के भीतर आएगा और यह केवल एक नियामक उपाय नहीं होगा, निराधार नहीं है। यदि राज्य सरकार अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के उपखंड (डी) के संबंध में केवल प्रत्यायोजित शक्ति रखती है, तो मुझे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलील को

खारिज करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, तथ्यात्मक स्थिति अलग है। केन्द्र सरकार ने *दिनांक* 13 मार्च, 1973 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 168 (ई) के माध्यम से राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (छ) के संबंध में भी आदेश देने की शक्ति प्रत्यायोजित की। जब इस स्थिति का सामना करना पड़ा, तो याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि राज्य सरकार इस तथ्य के मद्देनजर 13 मार्च, 1973 की अधिसूचना का लाभ नहीं उठा सकती है कि लागू अधिसूचना बनाते समय इसके तहत अधिकार का उपयोग नहीं किया गया था। इस प्रयोजन के लिए, उन्होंने आक्षेपित अधिसूचना का उल्लेख किया जिसमें अधिसूचना सं 2008 का विशेष उल्लेख किया गया है। जी.एस.आर. 1111, दिनांक 24 जुलाई, 1967 की अधिसूचना सं. जीएसआर 168 (ई), दिनांक 13 मार्च, 1973। मैं इस तर्क से प्रभावित नहीं हूं। यह सच है कि 13 मार्च, 1973 की अधिसूचना का कोई विशिष्ट उल्लेख लागू अधिसूचना में नहीं किया गया है, लेकिन इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि आक्षेपित अधिसूचना में निहित आदेश सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है जो हरियाणा के राज्यपाल को ऐसा करने में सक्षम बनाता है। 13 मार्च, 1973 की अधिसूचना ने राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत उपधारा (2) के खंड (जी) के संबंध में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। यह स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार ने 24 मई, 1978 को लागू अधिसूचना जारी करते समय इस शक्ति का प्रयोग किया था। सबसे पहले, 13 मार्च, 1973 की अधिसूचना का उल्लेख करने की चूक का कोई महत्व नहीं है और इससे यह *अधिकार से परे* नहीं होगा - और दूसरी बात, आक्षेपित अधिसूचना में यह विशिष्ट उल्लेख कि यह सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है, जो हरियाणा के राज्यपाल को ऐसा करने में सक्षम बनाता है, उठाई गई आपत्ति को प्रभावी ढंग से नकारात्मक करेगा।

> **1.** याचिकाकर्ताओं के वकील ने तब तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के उप-खंड (जी) के तहत, सार्वजनिक हित में किए जाने वाले खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक लेनदेन के किसी भी वर्ग को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। आगे तर्क यह है कि इस मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा दूध के निर्यात पर प्रतिबंध को नहीं कहा जा सकता है।

खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक लेनदेन के एक वर्ग के रूप में और यह सार्वजनिक हित में भी नहीं है। मुझे इस विवाद में कोई बल नजर नहीं आता। लागू अधिसूचना की प्रस्तावना में कहा गया है कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि द्रव रूप में दूध की हरियाणा राज्य में आपूर्ति और वितरण के रखरखाव और वृद्धि के लिए इसे जारी करना आवश्यक है, जीवन प्रस्तावना के लिए आवश्यक वस्तु पर मुहर नहीं लगाई जा सकती है क्योंकि यह सार्वजनिक हित में नहीं है। समाज की उपलब्धियों के लिए। अधिसूचना का उद्देश्य, जैसा कि अधिसूचना की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य है, याचिकाकर्ताओं को

24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 तक सीमित अवधि के लिए हरियाणा राज्य से दूध का निर्यात करने से रोक दिया गया है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि गर्मी और शुष्क मौसम के कारण वर्ष के इस भाग में दुधारू मवेशियों की उपज काफी कम हो जाती है। इस अवधि के दौरान हरियाणा राज्य से दूध के निर्यात से स्वाभाविक रूप से लोगों को कठिनाई होगी। अधिसूचना के ऑपरेटिव भाग का इसके उद्देश्य के साथ सीधा संबंध है। याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य से अन्य राज्यों में दूध के निर्यातक हैं। अन्य राज्यों को दूध की आपूत से संबंधित उनके लेन-देन वाणिज्यिक प्रकृति के हैं। दूध निश्चित रूप से एक खाद्य पदार्थ है। इसलिए, यह कल्पना करना कठिन है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा हरियाणा राज्य से अन्य राज्यों को दूध का निर्यात अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के उप-खंड (जी) के संदर्भ में "खाद्य पदार्थों से संबंधित वाणिज्यिक लेनदेन का वर्ग" शब्द द्वारा कवर नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा हरियाणा राज्य से अन्य राज्यों को दूध के निर्यात के संबंध में अधिसूचना में निहित निषेध स्पष्ट रूप से उप-खंड (जी) *पूर्वोक्त द्वारा कवर किया गया है।*

> **1.** याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा इस संबंध में एक और बिंदु यह है कि राज्य सरकार राज्य विधानमंडल के अधीनस्थ होने के नाते ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती है जिसका उपयोग राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, यह एक नौकर को अपने स्वामी की तुलना में अधिक अधिकार का प्रयोग करने के समान होगा। यह विवाद सार से रहित है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी करने के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार के वैध प्रत्यायोजित अधिकार का प्रयोग किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य विधानमंडल अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकता है या नहीं।
>
> **2.** अधिनियम की उपधारा (2) के खंड (छ> के संबंध में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गई है और राज्य सरकार ने 24 मई, 1978 को अधिसूचना जारी करने के लिए इस अधिकार का प्रयोग किया। वही

इसलिए, लागू की गई अधिसूचना *राज्य सरकार के अधिकार के* अंतर्गत आती है।

6.अब, दबे हुए मुद्दों को दबे हुए रखें। यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली को हरियाणा राज्य से दूध के निर्यात पर प्रतिबंध से छूट देती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत याचिकाकर्ताओं के समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तर्क यह है कि ये दोनों संगठन हरियाणा राज्य से दूध खरीदते हैं और इसे दिल्ली ले जाते हैं और यही अधिकार याचिकाकर्ताओं को भी दिया जाना चाहिए था। तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं और ऊपर नामित दो संगठनों को अधिसूचना में अलग-अलग व्यवहार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 14 आकर्षित होता है और इसे बुरा बनाता है। हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया है कि

दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली, याचिकाकर्ताओं के साथ समान स्तर पर नहीं हैं, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली अधिसूचना का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने *मैसर्स ब्रजलाल मनिलडल एंड कंपनी और एक अन्य* वी का हवाला दिया है। *मध्य प्रदेश राज्य और अन्य* (1), जिसमें यह माना गया है कि संवैधानिक प्रावधानों और उसके तहत सुरक्षा उपायों पर विधायी शक्ति के प्रयोग के प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में केवल एक लीटर या यांत्रिक निर्माण उचित नहीं होगा। इस तरह के मामलों में, दो! निर्माण के नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: (1) अदालतें आम तौर पर इस धारणा पर उनके सामने लगाए गए विधायी उपाय की संवैधानिकता की ओर झुकती हैं कि एक विधायिका संवैधानिक सुरक्षा या अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी, और (2) कि इस तरह के अधिनियमन का निर्माण करते समय अदालत को लागू अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य की जांच करनी चाहिए, इस तरह के कारकों से इसके वास्तविक दायरे और अर्थ को रोकने और पता लगाने की कोशिश करता है।

7.एक अन्य फैसले पर मध्य *भारत कॉटन एसोसिएशन लिमिटेड ने भरोसा किया है।* बहुत। *भारत संघ और दूसरा* (2), जिसमें यह पाया गया कि बीमा और बैंकिंग जैसे कपास व्यापार में हेजिंग के लिए अनुभव और स्थिरता की आवश्यकता होती है; साथ ही, यह भारत के लोगों के एक बड़े वर्ग के कल्याण और विश्व बाजारों में भारत की आर्थिक स्थिरता को इतना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि इसे हल्के ढंग से अनुभवहीन हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है। जहां वस्त्र आयुक्त अपने विवेकाधिकार से उन कतिपय संघों को छूट प्रदान करता है जो बीस वर्षों से ऐसे ठेकों का संचालन कर रहे थे।

1. ए.आई.आर. 1970 एस.सी. 129.

2. ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 634.

कपास नियंत्रण आदेश 1950, हाल ही में गठित एक संघ यह शिकायत नहीं कर सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अर्थ के भीतर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके अलावा जब दोनों संघों को समानता के स्तर पर नहीं कहा जा सकता है, तो अनुच्छेद 14 के तहत भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है।

1. उच्चतम न्यायालय के इन दो प्राधिकरणों के अनुपात *की पृष्ठभूमि में* महाधिवक्ता ने तर्क दिया है कि दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेयरी, दिल्ली दो राज्य नियंत्रित संगठन हैं। वे सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं और वे राजधानी में लोगों को रियायती दरों पर दूध की आपूर्ति करते हैं। इसके विपरीत याचिकाकर्ता निजी व्यक्ति हैं और हरियाणा राज्य से दूध निर्यात करने का उनका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक लाभ है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिबंध की अवधि छोटी अवधि के लिए है, अर्थात 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 तक, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं को दिल्ली दुग्ध योजना

और मदर डेयरी, दिल्ली के साथ समान स्तर पर नहीं माना जा सकता है। पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उजागर किए गए बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, विद्वान महाधिवक्ता द्वारा प्रचारित दृष्टिकोण प्रबल होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ताओं और दिल्ली के दो संगठनों के बीच अंतर की मुख्य विशेषताओं को देखते हुए, उन्हें एक ही वर्ग या श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। चूंकि दिल्ली के संगठन याचिकाकर्ताओं से अपने आप में एक वर्ग का गठन करते हैं, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली अधिसूचना का सवाल ही नहीं उठता।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का एक और तर्क यह है कि संविधान का अनुच्छेद 19 (एल) (जी) याचिकाकर्ताओं सहित सभी नागरिकों को किसी भी पेशे का अभ्यास करने, या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार देता है। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को राज्य बाधाओं के बावजूद पूरे भारत में दूध बेचने के लिए अपना व्यवसाय जारी रखने का पवित्र अधिकार है। चूंकि अधिसूचना याचिकाकर्ताओं के इस अधिकार को नकारात्मक बनाती है, इसलिए इसे अनुच्छेद 19 (एल) (जी) का उल्लंघन करने के लिए रद्द किया जाना चाहिए। मैं इस तर्क से प्रभावित नहीं हूं। संविधान के अनुच्छेद 19 के उपखंड (6) में कहा गया है:-

"(6) उक्त खंड के उप-खंड (जी) में कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक कि यह राज्य को आम जनता के हित में, उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून बनाने से रोकता है, और विशेष रूप से, उक्त उप-खंड में कुछ भी नहीं।

किसी विद्यमान विधि के प्रचालन को प्रभावित करेगा, जहाँ तक वह संबंधित है, या राज्य को इससे संबंधित कोई विधि बनाने से रोकता है:-

पी) * * * +•

1. किसी भी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा का राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व वाले या नियंत्रित निगम द्वारा किया जाना, चाहे वह नागरिकों का बहिष्कार, पूर्ण या आंशिक हो या अन्यथा।

यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के संदर्भ में किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार, उसके उप-खंड (6) में निहित प्रावधानों के अधीन है। अनुच्छेद 19 (एल) (जी) के तहत अधिकार को आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाकर कानून द्वारा नकारात्मक किया जा सकता है। अधिसूचना जनहित में जारी की गई है और इसके बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। *मेसर्स चानन राम जगन नाथ* बनाम *पंजाब राज्य और अन्य* (3) मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत बनाए गए पंजाब खांडसारी और गुड़ डीलर्स लाइसेंसिंग आदेश (1963) को संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करने के रूप में चुनौती दी गई थी। यह पाया गया कि केवल इसलिए कि किसी आदेश में किसी विशेष व्यवसाय को कुछ व्यक्तियों तक सीमित करने का प्रभाव होता है जो पहले से ही उस व्यवसाय में हैं, यह आवश्यक रूप से आदेश को असंवैधानिक नहीं बना देगा। न्यायालय को उन परिस्थितियों पर विचार करना होगा जिनमें आदेश दिया गया है, जिस वस्तु से यह संबंधित है, जिस स्थिति को ठीक करने की मांग की गई है और जो उद्देश्य प्राप्त करना वांछित है। एक बार जब इन सभी कारकों के आधार पर यह पाया जाता है कि आदेश के प्रावधानों और प्राप्त की जाने वाली आपत्ति के बीच एक तर्कसंगत संबंध है, तो आदेश को रद्द नहीं किया जाएगा। इस प्राधिकरण में निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, 24 मई, 1978 से 14 जुलाई, 1978 तक सीमित अवधि के लिए दूध के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने वाले याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित के रूप में प्रमाणित करना होगा। अधिसूचना की अवधि बहुत कम है। याचिकाकर्ताओं को दूध में अपना व्यवसाय करने से पूरी तरह से नहीं रोका गया है। वे हरियाणा राज्य के भीतर दूध बेचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं जो अधिसूचना का एकमात्र उद्देश्य है। इसलिए अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

---

(3) A.I.R. 11965 Pb. 74 ((D.B.).

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत आश्रय लेने की भी कोशिश की है, जिसमें प्रावधान है कि संविधान के भाग XIII के अन्य प्रावधानों के अधीन, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और संभोग स्वतंत्र होगा। तर्क यह है कि निर्धारित अवधि के दौरान हरियाणा राज्य से दूध के निर्यात के लिए याचिकाकर्ताओं पर लगाया गया प्रतिबंध अनुच्छेद 301 में निहित व्यापार की स्वतंत्रता की गारंटी का उल्लंघन करता है। इस विवाद में फिर से कोई बल नहीं है। अनुच्छेद 302 के तहत, संसद कानून द्वारा सार्वजनिक हित में व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता पर इस तरह के प्रतिबंध लगा सकती है। *शोभा में और एक अन्य* वी। *राज्य* (4), जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी यूपी धान (आवाजाही पर प्रतिबंध) आदेश (1958) को चुनौती दी गई थी, यह माना गया था कि अनुच्छेद 301 के तहत गारंटीकृत व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता अनुच्छेद 302 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत तैयार किया गया आदेश, और संसद द्वारा पारित, अनुच्छेद 302 के तहत विचार किया गया कानून का एक टुकड़ा था और इसके द्वारा पूरी तरह से संरक्षित था। आक्षेपित आदेश केवल अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करता था और प्रत्यायोजित कानून की प्रकृति में था। यह भी माना गया कि लागू आदेश और अधिनियम की धारा 3 के तहत पारित अन्य आदेशों की स्थिति क़ानून के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुरूप थी, जिन्हें क़ानून के हिस्से के रूप में माना जाना था। इस मामले में अधिसूचना ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) की कसौटी पर खरा उतरा है। शोभा और अन्य में निर्धारित नियम को ध्यान में रखते हुए। *राज्य* (सुप्रा) और पहले ही दिए गए कारणों के कारण, इसे संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने के लिए बुरा नहीं ठहराया जा सकता है।

2. इथ आई एटपेटिटियो के लिए अंतिम तर्क यह है कि याचिकाकर्ता पास्चुरीकृत दूध का सौदा करते हैं और यह अधिसूचना में निहित 'दूध' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, जिसके परिणामस्वरूप यह उन पर लागू नहीं होता है। यह विवाद भी बिना किसी बल के है। पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूध सहित डेयरी उद्योग की सभी शाखाओं में व्यापक रूप से बैक्टीरिया को खत्म करने और इसके गठन को रोकने के लिए नियोजित है। इस प्रक्रिया में दूध को एक तापमान पर गर्म करना होता है जो इसकी संरचना या गुणों को गंभीरता से प्रभावित किए बिना मौजूद लगभग सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। फिर दूध को तुरंत पर्याप्त रूप से कम तापमान पर ठंडा किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों के विकास की जांच की जा सके

(4) ए.आई.आर. 11963 सभी। 29.

तापमान का उपयोग किया जाता है। यह मानना शायद ही संभव है कि इस तरह की प्रक्रिया के अधीन होने के बाद दूध दूध नहीं रह जाएगा।

8. नतीजतन, सभी चार रिट याचिकाएं बिना एम के हैं और लागत के साथ खारिज कर दी जाती हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा